



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-08.07.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चोलापुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-141/2022 धारा 363, 366, 376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रितेश मौर्या उर्फ जितेश मौर्या पुत्र राजपथ मौर्या निवासी अयोध्यापुर थाना लोहता जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-08.07.2024 को माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त रितेश मौर्या उर्फ जितेश मौर्या उपरोक्त को अंतर्गत धारा 366 भा0द0वि0 में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड व अंतर्गत धारा 376 भा0द0वि0 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।